

रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल० डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16 लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग₋₃, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के विधेयक)

लखनऊ, बुधवार, 20 दिसम्बर, 2023

अग्रहायण 29, 1945 शक सम्वत्

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश (संसदीय अनुभाग)

संख्या 2327 / वि०स० / संसदीय / 109(सं)-2023

लखनऊ, 29 नवम्बर, 2023

अधिसूचना प्रकीर्ण

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 29 नवम्बर, 2023 के उपवेशन में पुर:स्थापित किया गया, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य—संचालन नियमावली, 2023 के नियम 126 के अन्तर्गत एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964 का अग्रतर संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

- 1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2023 संक्षिप्त नाम और कहा जायेगा।
 - (2) यह दिनांक 24 दिसम्बर, 2021 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 1964 में नई धारा 8क का बढाया जाना

2—उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) में, धारा ८ के पश्चात निम्नलिखित धारा बढा दी जायेगी, अर्थात :—

"विधिमान्यकरण 8क—िकसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के प्रतिकूल होते हुए भी उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) अधिनियम, 2023 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2023) के किसी उपबंध के अधीन दिनांक 24 दिसम्बर, 2021 से कृत या किये जाने हेतु तात्पर्यित कोई बात या कृत या की गयी तात्पर्यित कोई कार्यवाही विधिमान्य रहेगी और सदैव विधिमान्य रही समझी जायेगी, मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।"

धारा 22 का संशोधन 3—मूल अधिनियम की धारा 22 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्:—

"(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए गजट में अधिसचना द्वारा नियम बना सकती है।"

निरसन और व्यावृत्ति 4—(1) उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (द्वितीय संशोधन) अध्यादेष, उत्तर प्रदेश 2023 एतदद्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 15 सन् 2023

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेष द्वारा यथासंषोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित अधिनियम के सहप्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश में चीनी कारखानों द्वारा उत्पादित शीरा के भण्डारण, श्रेणीकरण तथा मूल्य पर नियंत्रण करने और उसकी पूर्ति तथा वितरण के विनियमन का उपबन्ध करने के लिए उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 1964) जिसे आगे "उक्त अधिनियम" कहा गया है, अधिनियमित किया गया है।

उक्त अधिनियम की धारा 8 [उत्तर प्रदेष षीरा नियंत्रण (द्वितीय संषोधन) अधिनियम, 2021 (उत्तर प्रदेष अधिनियम संख्या 35 सन् 2021) द्वारा यथा संषोधित] षीरे की उनकी आसवनी इकाईयों के आबद्ध खपत हेतु षीरे के विक्रय तथा पूर्ति पर विनियामक षुल्क अधिरोपित किये जाने का उपबंध करती है। चीनी कारखानों के कुछ अध्यासियों द्वारा उक्त धारा पर आक्षेप किया गया और माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने कतिपय रिट याचिकाओं में चीनी मिलों की आसवनी इकाईयों द्वारा षीरे की आबद्ध खपत पर विनियामक षुल्क की वसूली को आस्थिगत कर दिया।

तत्पश्चात समस्त चीनी कारखानों के साथ ही साथ खांडसारी चीनी विनर्माणकर्ता इकाइयों को उनकी आबद्ध इकाइयों की शीरे की आबद्ध खपत पर विचार किये बिना विनियम के आध्यधीन समान रूप से उत्तर प्रदेष षीरा नियंत्रण (संषोधन) अधिनियम, 2023 (उत्तर प्रदेष अधिनियम संख्या 1 सन् 2023) द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 2 तथा 8 का संषोधन किया गया।

पूर्वोक्त रिट याचिकाओं के लिम्बत होने के दृष्टिगत, चीनी मिल स्वामियों द्वारा उनकी आसवनी इकाइयों की सीमित खपत हेतु षीरे की आबद्ध खपत पर विनियामक षुल्क की वसूली संभव नहीं हो पा रही थी जिससे सरकार को वित्तीय हानि हो रही थी।

अतएव, उत्तर प्रदेष षीरा नियंत्रण (संषोधन) अधिनियम, 2023 (उत्तर प्रदेष अधिनियम संख्या 1 सन् 2023) को भूतलक्षी प्रभाव से कार्यान्वित करके चीनी उद्योगों के साथ—साथ खांडसारी चीनी विनिर्माणकर्ता इकाइयों से उन्मोचितष्षीरे के विक्रय, पूर्ति तथा वितरण पर विनियामक षुल्क अधिरोपित तथा विधिमान्य करने और उत्तर प्रदेष अधिनियम संख्या 35 सन् 2021 के प्रारम्भ होने के दिनांक अर्थात् 24 दिसम्बर, 2021 से इसके अधीन कृत कार्यवाही को विधिमान्य करना आवष्यक हो गया था।

उपर्युक्त के दृष्टिगत, विधिमान्यकरण हेतु एक नयी धारा 8—क को बढ़ाने हेतु उक्त अधिनियम में संषोधन करने और "नियम बनाने की षिक्त" की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए विद्यमान धारा 22 का संषोधन करने का विनिष्चय किया गया।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को क्रियान्वित करने के लिये तुरन्त विधायी कार्यवाही की जानी आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 01 सितम्बर, 2023 को उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2023 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 15 सन् 2023) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वीक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये पुरःस्थापित किया जाता है।

नितिन अग्रवाल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), आबकारी।

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023 में किये जाने वाले ऐसे उपबंधों का ज्ञापन—पत्र जिनमें विधायन अधिकारों के प्रतिनिधान अन्तर्ग्रस्त है:—

विधेयक का खण्ड	विधायन अधिकारों के प्रतिनिधान का संक्षिप्त विवरण
3	इसके द्वारा राज्य सरकार को इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए,
	गजट में अधिसूचना द्वारा, नियम बनाने की षक्ति दी जा रही है।

उपर्युक्त विधायन सामान्य प्रकार के हैं।

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023 द्वारा संशोधित की जाने वाली मूल अधिनियम की संगत धाराओं का उद्धरण

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023

(1) राज्य सरकार गजट में पूर्व प्रकाषन के पष्चात् इस अधिनियम के प्रयोजनों को ^{धारा}–22 नियम कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

> नितिन अग्रवाल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), आबकारी।

आज्ञा से, प्रदीप कुमार दुबे, प्रमुख सचिव।

UTTAR PRADESH SARKAR SANSADIYA KARYA ANUBHAG-1

No. 1184/XC-S-1–23-11S-2023 Dated Lucknow, December 20, 2023

NOTIFICATION

MISCELLANEOUS

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the "Uttar Pradesh Sheera Niyantran (Dwitiya Sanshodhan) Vidheyak, 2023" introduced in the Uttar Pradesh Legislative Assembly on 29th November, 2023.

THE UTTAR PRADESH SHEERA NIYANTRAN (DWITIYA SANSHODHAN) VIDHEYAK, 2023

A

BILL

further to amend the Uttar Pradesh Sheera Niyantran Adhiniyam, 1964

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-fourth Year of the Republic of India as follows:—.

1.(1) This Act may be called the Uttar Pradesh Sheera Niyantran (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 2023.

Short title and commencement

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from the 24th day of December, 2021.

47809 RPH 2023 (U.P. Sheera Niyantran 2nd Amendment) data 4e

Insertion of new section 8A in U.P. Act no. 24 of 1964 2. In the Uttar Pradesh Sheera Niyantran Adhiniyam, 1964 (hereinafter referred to as the "principal Act"), *after* section 8, the following section shall be *inserted*, namely:-

"Validation 8A. Notwithstanding any judgment, decree or order of any Court to the contrary, anything done or purporting to be done, and any action taken or purporting to have been taken under any provision of the Uttar Pradesh Sheera Niyantran (Sanshodhan) Adhiniyam, 2023 (U.P. Act no. 1 of 2023) from the 24th day of December, 2021 shall be valid and shall be deemed always to have been valid as if the provisions of this Act were in force at all material times."

Amendment of section 22

- 3. In section 22 of the principal Act, *for* sub-section (1), the following sub-section shall be *substituted*, namely:-
- "(1) The State Government may, by notification in the *Gazette*, make rules to carry out the purposes of this Act."

Repeal and Saving

- 4.(1) The Uttar Pradesh Sheera Niyantran (Dwitiya U.P. Ordinance Sanshodhan) Adhyadesh, 2023 is hereby repealed.
- (2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Sheera Niyantran Adhiniyam, 1964 (U.P. Act no. 24 of 1964), hereinafter referred to as the "said Act", has been enacted to provide for the control of storage, gradation and price of molasses produced by sugar factories in Uttar Pradesh and the regulation of supply and distribution thereof.

Section 8 of the said Act [as amended by Uttar Pradesh Sheera Niyantran (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 2021(U.P. Act no. 35 of 2021)] provides for imposition of regulatory fee on sale and supply of molasses for captive consumption of their distillery units. The said section has been challenged by some occupiers of sugar factories and the Hon'ble High Court of Allahabad has deferred the realisation of regulatory fee on captive consumption of molasses by distillery units of sugar mills in certain writ petitions.

Subsequently, sections 2 and 8 of the said Act were amended *vide* the Uttar Pradesh Sheera Niyantran (Sanshodhan) Adhiniyam, 2023 (U.P. Act no.1 of 2023) making all sugar factories as well as khandsari sugar manufacturing units, irrespective of captive consumption of molasses of their captive units, equally subject to regulation.

In view of pendency of the aforesaid writ petitions, recovery of regulatory fee on captive consumption of molasses by the sugar mill owners for limited consumption of their distillery units was not being possible, which was causing financial loss to the Government.

Therefore, it had become necessary to impose and validate regulatory fee on sale, supply and distribution of molasses released from sugar industries as well as khandsari sugar manufacturing units by implementing the Uttar Pradesh Sheera Niyantran (Sanshodhan) Adhiniyam, 2023 (U.P. Act no.1 of 2023) with retrospective effect and to validate actions taken under it with effect from the date of commencement of U.P. Act no. 35 of 2021 *viz*, December 24, 2021.

In view of the above, it was decided to amend the said Act to insert a new section 8-A for validation and to amend the existing section 22 in order to simplify the process of "power to make rules".

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Sheera Niyantran (Dwitiya Sanshodhan) Adhyadesh, 2023 (U.P. Ordinance no.15 of 2023) was promulgated by the Governor on September 01, 2023.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

NITIN AGARWAL

Rajya Mantri (Swatantra Prabhar), Aabkaari.

By order,

J. P. SINGH-II, Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० ८०९ राजपत्र—२०२३—(२३०७)—५९९+३०=६२९ प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।